न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०
पीठासीन अधिकारी — राम निवास मेहता

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 29/2019 | 14.06.2019 | 10.01.2025 |

1. बिहारीलाल पुत्र श्री मथुरालाल जाति काछी निवासी बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

2. रामेश्वर आयु 32 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल जाति काछी निवासी बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

## निर्णय
## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि ग्राम बरनाहाली तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 121 मे खसरा संख्या 119/3 रकबा 0.63 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 72 मे खसरा संख्या 119/281 रकबा 0.74 है0 व खसरा संख्या 177 रकबा 3.70 है. कुल 2 किता की 4.44 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण की पारिवारिक एवम् पैतृक भूमि है, जिसमे वादीगण अन्य के भाई सह खातेदार है। उक्त भूमि आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई है।

यह कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे त्रुटिवश सहवन से वादी क्रम 1 का नाम बिहारीलाल के स्थान पर प्रेमबिहारी तथा वादी क्रम 2 का नाम रामेश्वर के स्थान पर बृजबिहारी दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी क्रम 1 का राजकीय नाम बिहारीलाल तथा वादी क्रम 2 का राजकीय नाम रामेश्वर है। विवादित भूमि पर वादीगण स्वयं के हिस्से की भूमि पर वर्तमान मे शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।

यह कि तमाम राजकीय अभिलेखो व दस्तावेजो मे वादी क्रम 1 का नाम बिहारीलाल तथा वादी क्रम 2 का नाम रामेश्वर दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख मे प्रेमबिहारी तथा बृजबिहारी अंकित होने से वादीगण को कई प्रकार की भारी समस्यायों का सामना करना पडता है। इस त्रुटि के कारण वादीगण राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादी से निवेदन किया तो उन्होंने भी वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने हेतु ही कहा। इस परिस्थिति मे वादीगण के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

यह कि वाद कारण माह मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह मे प्रतिवादी द्वारा वाद में वर्णित त्रुटि को सुधारने में असमर्थता प्रगट करने एवम् माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने हेतु कहने पर उत्पन्न हुआ।

Ramniwas

अतः वाद द्वारा वाद प्रस्तुतकर निवेद किया है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित ग्राम बरनाहाली की विवादित भूमि में अंकित वादी क्रम का नाम प्रेमबिहारी के स्थान पर बिहारीलाल तथा वादी क्रम 2 का नाम बृजबिहारी के स्थान पर रामेश्वर दर्ज कर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का निवेदन किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिये सम्मन करवायी गई। दिनांक 05.11.2024 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार पेश। जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में पटवारी ढीपरी चम्बल की रिपोर्ट के आधार पर बिहारी लाल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी बरनाहाली को बिहारीलाल एवं प्रेमबिहारी दोनों नामों से जाना जाता है। अर्थात बिहारीलाल व प्रेमबिहारी दोनों एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार रामेश्वर पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी बरनाहाली को ब्रजबिहारी व रामेश्वर दोनों नामों से जाना जाता है। अर्थात ब्रजबिहारी व रामेश्वर दोनों एक ही व्यक्ति है। पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई दौराने बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया गया। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट में वादीगण का नाम बिहारीलाल व रामेश्वर हैं। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाब सरकार में जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादी व जमाबंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है। अतः वादीगण को प्रेमबिहारी व रामेश्वर के नाम से खातेदार घोषित कर दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बरनाहाली तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 121 मे खसरा संख्या 119/3 रकबा 0.63 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 72 मे खसरा संख्या 119/281 रकबा 0.74 है0 व खसरा संख्या 177 रकबा 3.70 है. कुल 2 किता की 4.44 हैक्टेयर भूमि में रेवेन्यु रेकार्ड में वादीगण को बिहारीलाल उर्फ प्रेमबिहारी पुत्र मथुरालाल व रामेश्वर उर्फ ब्रजबिहारी पुत्र मथुरालाल के नाम से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता (आर.ए.एस)

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 29/2019 | 14.06.2019 | 10.01.2025 |

1. बिहारीलाल पुत्र श्री मथुरालाल जाति काछी निवासी बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

2. रामेश्वर आयु 32 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल जाति काछी निवासी बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

निर्णय

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम बरनाहाली तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 121 मे खसरा संख्या 119/3 रकबा 0.63 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 72 मे खसरा संख्या 119/281 रकबा 0.74 है0 व खसरा संख्या 177 रकबा 3.70 है. कुल 2 किता की 4.44 हैक्टेयर भूमि में रेवेन्यु रेकार्ड में वादीगण को बिहारीलाल उर्फ प्रेमबिहारी पुत्र मथुरालाल व रामेश्वर उर्फ ब्रजबिहारी पुत्र मथुरालाल के नाम से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 10/1/2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |

Ramniwas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजूह सबूत | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| मेहनताना वकील | | | मेहनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | | मुत0 | | |
| मिलान | | | मिलान | | |

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा